25

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 41/2014 — दायरा दिनांक–10–04–2014

राजू देवी पुत्र स्व0 मोहन पत्नी फूलचन्द गोस्वामी जाति गुसाई निवासी खिरोड हाल घोलाबाई तन गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर राजस्थान।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. चम्पा देवी पत्नी स्व0 मोहन जाति गुसाई निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. मंजू देवी पुत्री स्व0 मोहन पत्नी स्व0 शंकरलाल जाति गुसाई निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. उप–पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अशोक कुमार ज़
वकील अनावेदकगण :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 27–09–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.28 हैक्टर स्थित है, जिसके सबसे पुराने खसरा नम्बर 619 रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 7 बीघा 9 बीश्वा रहे है जिसकी खातेदारी आवेदिका के दादा कुरडाराम के नाम दर्जशुदा चली आ रही थी। जो आवेदिका के पूर्वजो से ही प्राप्त हुई थी। आवेदिका स्वर्गीय कुरडाराम की पौत्री तथा स्व0 मोहन की पुत्री है।

उपरोक्त वर्णित भूमि आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि रही है। आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 स्व0 मोहन की जायन्दा पुत्रीया है, जो हिन्दु परिवार की सहदायी सदस्य है, जिसका जन्म से ही उक्त वादग्रस्त पैत्रिक भूमि मे हक हिस्सा है। आवेदिका स्वर्गीय कुरडाराम की पौत्री है तथा स्व0 मोहन की पुत्री है। स्वर्गीय कुरडाराम की वंशावली अनुसार स्वर्गीय कुरडाराम के तीन पुत्र गणेशपुरी महावरी पुरी मोहनपुरी हुए। कुरडाराम के फोत होने पर कुरडाराम की भूमि का विर[illegible] स्व0 मोहन के नाम से दर्ज खसरा नम्बर 866, 2414/804 का ही विवाद है। [illegible]का [illegible]वेदक संख्या 2 स्व0 मोहन की पुत्रिया है तथा अनावेदक संख्या 1 स्व0 मोहन की पत्नी है।

वादग्रस्त भूमि स्व0 [illegible] थी जो स्वर्गीय कुरडाराम के फौत [illegible] पर आवेदिका के पिता स्वर्गीय मोहन को विरासत में प्रा[illegible]ई थी। जिसका राजस्व रिकार्ड [illegible] मोहन के नाम से दर्जशुदा चला आ रहा था। उक्त भूमि आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 व उनके पिता स्वर्गीय मोहन की पैतृक भूमि है जिसमें आवेदिका तथा अनावेदिकागण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा है तथा सभी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसी हिससे अनुसार खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि में आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड आवेदिका के पिता स्वर्गीय मोहन के नाम से दर्ज होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

स्वर्गीय मोहन के मन में बेईमानी आ गई ओर अनावेदक संख्या 2 के बहकावे में आ गया और स्व0 मोहन को गुमराह कर दिनांक 05.12.2011 को एक दान–पत्र वादग्रस्त भूमि में से 0.88 हैक्टर का अपने हक में उप–पंजीयक कार्यालय नवलगढ के यहां तस्दीक व तकमील करवा दिया जबकि स्व0 मोहन को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था तथा न ही स्व0 मोहन को अपने हक हिस्सा 1/3 से अधिक भूमि का दान–पत्र करने का था। स्वर्गीय मोहन ने गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर अनावेदक संख्या 2 के हक में 0.88 हैक्टर भूम का दान–पत्र दिनांक 05.12.2011 को तस्दीक कर तकमील करवा दिया जबकि स्व0 मोहन व अनावेदक संख्या 2 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। जब आवेदिका को इस बात का पता चला तो आवेदिका ने अपनी माता व बहिन से बातचीत की तो उसने कहा कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड स्व0 मोहन के नाम था, हमने हमारी मर्जी से अनावेदक संख्या 2 के नाम 0.88 हेक्टर भूमि का दान–पत्र करवाया है और उसका नामान्तकरण संख्या 1818 दिनांक 09.04.2012 को तस्दीक हो चुका है ओर अब स्व0 मोहन का स्वर्गवास हो चुका है, शेष रही भूमि में आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 का नामान्तकरण खुल जावेगा। अनावेदक संख्या 1 भी उक्त भूमि को अनावेदक संख्या 2 को विक्रय व दान करने पर आंमादा है। जबकि वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर तथा अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हेक्टर तथा अनावेदक संख्या 2 का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर है। स्व0 मोहन व अनावेदक संख्या 2 ने राजस्व रिकार्ड स्व0 मोहन के नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 866 रकबा 0.90 हैक्टर खसरा नम्बर 2414/804 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.28 हैक्अ में से 0.88 हैक्टर का दान–पत्र अपने हक अधिकार से अधिक भूमि का करवा दिया जबकि वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण पैतृक भूमि है, जिसमें आवेदिका का हिस्सा 1/3 यानि कि 0.4266 हैक्टर है। जिस पर आवेदिका काबिज काश्त हैं, जिसकी आवेदिका को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा अनावेदक संख्या 1 को हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर का तथा अनावेदक संख्या 2 को हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में आवेदिका के लिए यह दावा बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादग्रस्त भूमि शामलाती है जो शामलाती से आवेदिका अपनी भूमि पर किसी प्रकार की सहायता नही ले पा रही है तथा न ही अपने हिस्सा की भूमि का विकास कर पा रही है क्योकि अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की नियत खराब है जो पहले ही राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक संख्या 2 अपने पक्ष में 0.88 हैक्टर भूमि का दान–पत्र करवा चुकी है तथा आये दिन वादग्रस्त भूमि को लेकर तरह–तरह से विवाद उत्पन्न करती रहती है। इसलिए आवेदिका भूमि का विधिवत विभाजन करवान चाहती है [illegible] कोई कानूनी बाधा नही है। आवेदिका अपने हिसेस की भूमि पर काबिज [illegible] पन 1/3 हिससा का खाला अलग कर विभाजन करवाने का [illegible] हिस्सा 1/3 तथा अनावेदक संख्या 2 का हिस्सा 1/3 अलग [illegible] ऐसी हालत में आवेदिका के लिए यह दावा बाबत बंटवारा जमीन का पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय कुरडाराम की थी जो स्व0 मोहन को उसके हिस्सा अनुसार विरासत मे प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें आवेदिका का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हेक्टर है परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड स्वर्गीय मेहन के नाम होने के कारण खसरा नम्बर 866 रकबा 0.90 हैक्टर खसरा नम्बर 2414/804 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.28 हैक्टर में से 0.88 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 2 के हक में दान–पत्र दिनांक

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ

27

05.12.2011 को करवा दिया, कानूनन पैतृक भूमि का दान–पत्र कानूनी रूप से गलत है जबकि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक थी और वादगरस्त भूमि में आवेदिका अपने 1/3 हिस्सा पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से अनावेदक संख्या 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त दान पत्र आवेदिका के अधिकारों के खिलाफ शून्य व बेअसर हैं। ऐसी हालत में उक्त दान–पत्र दिनांक 05.12.2011 को बेअसर घोषित करते हुये आवेदिका का हिस्सा 1/3, अनावेदक संख्या 1 को हिस्सा 1/3, अनावेदक संख्या 02 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा उक्त गलत दान–पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 1818 दिनांक 09.04.2012 को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में आवेदिका के लिए दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व शून्य व बेअसर घोषित करने दान–पत्र का पेश करना आवश्यक हुआ।

वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.28 हैक्टर में आवेदिका का हिस्सा 1/3 है जिसको स्वर्गीय मोहन व अनावेदक संख्या 2 ने आपास में मिलीभगत कर पहले उपरोक्त वर्णित भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दान–पत्र अनावेदक संख्या 2 ने अपने हक में करवाया है तथा अब अनावदेक संख्या 1 से भी विक्रय पत्र व दान–पत्र तस्दीक करवाने पर आमादा है तथा आवेदिका के हिस्सा लठ के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर हड़पना चाहती है जबकि वादग्रस्त भूमि में शामलाती रूप से आवेदिका भी काबिज काश्त है। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। जब आवेदिका ने अनावेदकगण संख्या 1 व 2 से इस बारे में दिनांक 19.03.2014 को बातचीत की और दान पत्र बाबत कहा तो उन्होने कहा राजस्व रिकार्ड स्वर्गीय मोहन के नाम था, जब चाहे जिसे चाहे दान करे, विक्रय करे। तुम्हे ईंच भूमि इस भूमि मे नही दूंगी। अगर अनावेदकगण संख्या 1 व 2 अपनी नाजायज हरकत में सफल हो गये तो आवेदिका को अपारक्षति होगी। जिसका खामियाजा आर्थिक रूप असम्भव होगा। आवेदिका को व्यर्थ की मुकदमेबाजी मे फंसना होगा व आवेदिका को अपने 1/3 हिस्सा की भूमि से वंचित होना पडेगा जो आवेदका के अधिकारो पर घोर कुठाराधात होगा आवेदिका को अपनी पैतृक भूमि में वंचित होना पड़ेगा। ऐसी हालत में आवेदिका के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है। स्व0 मोहन ने अपना हिस्सा गलत रूप से बताया है, जिसके आधार पर दान–पत्र करवाने का कोई अधिकार था। उक्त दान–पत्र के आधार पर अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को भी कोई अधिकार प्राप्त नही होते है इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 [illegible] रकबा 1.28 हैक्टर स्थित है, जिसके सबसे पुराने खसरा नम्बर 619 रकबा 3 बीघा 11 बिश्[illegible]सरा [illegible] 507 रकबा 7 बीघा [illegible] बीश्वा रहे है जिसकी खातेदारी आवेदिका के दादा करड़ाराम के नाम [illegible] चली आ रही थी, के राजस्व रिकार्ड व भूमि की किस्म वगैरह परिवर्तित नही [illegible] विक्रय या दान–पत्र न तो स्वयं करे अथवा न अपने सम्बन्धी नौकर–चाकर प्रतिनिधि आदि से क[illegible] इस प्रकार अनावेदक संख्या 3 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अनावेदकगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या दान–पत्र न तो स्वयं तस्दीक करे अथवा न अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से तस्दीक करावे तथा अनावेदक संख्या 4 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व या बाद कोई विक्रय–पत्र या दान–पत्र बना है तो उसका नामान्तकरण न तो स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक करे अथवा न अपने अधिनस्थ किसी कर्मचारियो से करावे तथा मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया उपस्थित आये तथा अनावेदकगण संख्या 3 व 4 की तामिल दावें में प्रर्याप्त रूप से होने से दावे मे इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाने पर इस प्रकरण प्रार्थना पत्र में इनकी एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की ओर से मदवार जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर नया 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.28 हैक्टर जिसके सबसे पुराने खसरा नम्बर 619 रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 7 बीघा 9 बीश्वा रहे है, ग्राम खिरोड में स्थित होना स्वीकार किया गया है।

वादग्रस्त आरजी आवेदिका व अनावेदक नम्बर 1 व 2 के कब्जे काश्त की पैतृक भूमि रही है। आवेदिका के वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा ना आवेदिका का वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर वर्ममान में कोई कब्जा काश्त नही है और ना ही आवेकदा ने प्रार्थना पत्र में कब्जे बाबत कोई अनुतोष चाहा है।

वादग्रस्त आराजी में आवेदिका व अनावेदक संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा है तथा सभी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। जबकि वादग्रस्त आराजी में आवेदिका का कोई हक व हिस्सा नही है तथा ना ही वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर आवेदिका का कब्जा काश्त है। आवेदिका का यह कथन भी कतई अस्वीकार है कि स्व0 मोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई और अनावेदक संख्या 2 उतरदाता के बहकावे में आ गया और उतरदाता प्रतिवादी नम्बर 2 ने स्व0 मोहनलला को मुमराह कर दिनांक 5.12.2011 को वादग्रस्त आराजी में से 0.88 हैक्अर का दान पत्र उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ के यहां अपने नाम से तस्दीक व तकमील करवा दिया। जबकि वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार स्व0 मोहनलाल था स्व. मोहनलाल को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त थे। स्व0 मोहनलाल से बिना किसी के दवाब व बिना किसी के बहकावे में आये अपी सचेत इन्द्रियों की अवस्था में अपनी राजी रजा से वादग्रस्त आराजी मे से 0.88 हैक्टर भूमि का दान पत्र दिनांक 05.12.2011 को उतरदाता प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। उक्त भूमि का दान स्व0 मोहनलाल ने उतरदाता प्रतिवादी संख्या 2 की सेवा से खुश किया है, जिसका स्व0 मोहनलाल पूरा–पूरा हक अधिकार प्राप्त था। आवेदिका ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वर्गीय मोहनलाल को गुमराह करके व बहकावे मे लेकर दान–पत्र तस्दीक करवाया जाने का कथन किया है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेजात को कपटपूर्ण होने का कथन किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय सिलिव न्यायालय को होता है। इसलिए अदालत हाजा का उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का क्षैत्राधि[illegible] आवेदिका का यह कथन भी कतई स्वीकार नही कि वादग्रस्त आरा[illegible] 1/3 [illegible] कि 0.4266 हैक्टर है जिस पर आवेदिका काबिज काश्त है जबकि स्व0 मोहनलाल [illegible] अपने कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त थे स्व. मोहनलाल के कोई पुत्र सन्तान नही थी आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 उतरदाता का विवाह एक [illegible] ही हुआ था विवाह होने के पश्चात आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 अपने ससुराल गोविन्दगढ रहने लगी परन्तु दिनांक................का आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 उतरदाता क पति का सड़क दुर्घटना में देहान्त हो गया ओर वादिया असहाय हो अनावेदक संख्या 2 उतरदाता अनावेदक संख्या 2 की सम्पति को हडपने के लिए गई तो वादिया व उसके पति ने उतरदाता अनावेदक संख्या 2 के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया तब से उतरदाता अनावेदक उतरदाता अनावेदक संख्या 2 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 अपने पिता के घर ग्राम खिरोड आकर रहने लगी तथा आवेदिका अपने ससुराल गोविन्दगढ ही निवास करती है स्व0 मोहनलाल के कोई सन्तान नही थी तथा उतरदाता को पिता व वादग्रस्त आराजी को खातेदार स्वर्गीय मोहनलाल बिमार हो गया तब उतरदाता आवेदिका संख्या 2 ने ही सेवा की तो स्वर्गीय मोहनलाल ने उतरदाता आवेदिका संख्या 2 की सेवा से खुश होकर अपने कब्जे काश्त व खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 866 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 2414/804 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 हैक्टर में से 0.88 हैक्टर या दान उतरदाता आवेदिका संख्या 2 को कर दिया तथा दान पत्र दिनांक 5.12.2011 को उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ में उतरदाता अनावेदिका संख्या 2 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो स्व0 मोहनलाल ने अपने वैध अधिकारों के रहते हुए सही तस्दीक करवाया है। जिस पर उतरदाता अनावेदक संख्या 2 काबिज काश्त है। आवेदिका अपने ससुराल ही रहती है कभी भी ग्राम खिरोड़ मे काश्त है। आवेदिका अपने ससुलराल ही रती है कभी भी ग्रा खिरोड में आकर वादग्रस्त आराजी को काश्त नही किया है। आवेदिका का वादग्रस्त आराज़ी के किसी भी मांग पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा आवेदिका ने ता ही दावे में कब्जे बाबत कोई अनुतोष चाहा है। इसलिए आवेदिका सिकी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी नही है। आवेदिका ने नाजायज रूप से उतरदाता को हैरान व परेशान करके उतरदाता के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हडपने के लिए उक्त आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो चलने योग्य नही है।

यह है कि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता खानदान को समस्त अधिकार प्राप्त होते है। संयुक्त परिवार के हित व भलाई के लिए कर्ता खानदान द्वारा लिये गये निर्णय विधिमान्य होते है। उतरदातागण अनावेदक नम्बर 2 का विवाह उसके पिता स्व0 मोहनलाल द्वारा किया गया था। उतरदाता अनावेदक नम्बर 2 के विवाह के पश्चात उतदाता/अनावेदक नम्बर 2 के दो पुत्रियां पैदा होने के पश्चात कम उम्र मे ही उतरदाता/अनावेदक संख्या 2 के पति का स्वर्गवास हो गया। उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पति का स्वर्गवास होने पश्चात उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 का अपने के अलावा कोई नही रहा उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 को घर से बाहर निकाल दिया। आवेदिका व उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 दोनो का एक ही जगह ससुराल है। आवेदिका व आवेदिका के पति ने उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 ससुराल में अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के माता पिता को उतरदाता/ अनावेदक नम्बर 2 के अलावा बुढापे का अन्य कोई सहारा नही था। इस कारण उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 को उसके माता पिता ने अपने पास रख लिया। उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पास अपना व अपने बच्चों का तथा अपने माता पिता का पेट पालन करने के लिए उपरोक्त अपने पिता की खातेदारी की भूमि के अलावा अन्या कोई साधन नही था। उतरदाता उपरोक्त वर्णित अपने माता पिता की खातेदारी भूमि को काश्त करके अपना, अपने बच्चों का व [illegible] पिता का पेट पालन करती थी। स्वर्गीय मोहन लाल ने संयुक्त हिन्दु [illegible] कर्ता [illegible] होने के कारण परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने नाम खातेदारी [illegible] भूमि को दान-पत्र के जरिये अपनी पुत्री उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के नाम करवा दी जो कि अपनी पुत्री उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 द्वारा की गई सेवा व बुढापे के जीवन मे किये गये भरण [illegible] के प्रति फलस्वरूप अपने नैतिक दायित्वों के अधीन उक्त दान-पत्र करवाया था जो कि उतरदाता/अनावेदक नम्बर 1 की सहमति से करवाया गया था। स्वर्गीय मोहनलाल को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का दान-पत्र करवाने का अधिकार कानूनन प्राप्त था। उतरदाता/अनावेदक नम्बर 1 अभी भी उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पास रहती है तथा उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 ही अपनी माता उतरदाता/अनावेदक नम्बर 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.ट्रे.)
नवलगढ

भरण पोषण करती है तथा उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को काश्त करती है तथा काबिज है। आवेदिका ने वादग्रस्त भूमि को कभी काश्त नही किया तथा ना ही आवेदिका ने कभी अपने माता व पिता का भरण पोषण किया व ना ही सेवा की। आवेदिका का वादग्रसत सम्पति में कोई सम्बन्ध में नही रहा है।

वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का कोई हिस्सा नही है। आवेदिका वादग्रस्त भूमि के किसी प्रकार का कोई विकास करने की अधिकारिणी नही है ना ही उक्त भूमि के किसी हिस्से पर आवेदिका कोई सरकारी सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 व 1 नियत बिल्कुल सही है। वादग्रस्त भूमि में 0.88 हैक्टर भूमि का दान–पत्र उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पिता स्वर्गीय मोहनलाल ने विधिपूर्वक अपने कानूनी वैध अधिकारों के अध्यधीन उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। आवेदिका वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से का विभाजन करवाने की अधिकारिता नही है। आवेदिका द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी अधिकार के बिना खातेदार कें बिना कानून के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय मोहनलाल की खातेदारी की भूमि थी। स्वर्गीय मोहनलाल अपने परिवार के कर्ता खानदान थे जिन्होने अपने हक अधिकारों की सम्पति में से अपने अधिकारों के तहत ही 0.88 हैक्टर भूमि का दान पत्र दिनांक 5.12.2011 उतरदाता/अनावेदक नम्बर 2 के पक्ष में करवाया था जो अपने वैध अधिकारों की अध्यधीन तस्दीक करवाया था जिसमें कोई कानूनी कोई त्रुटि नही है। आवेदिका द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में दान पत्र दिनांक 5.12.2011 को बेअसर घोषित करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। दान–पत्र को शून्य व बेअसर घोषित करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जाना चाहिए था ना ही आवेदिका को उक्त दान पत्र दिनांक 5.11.2011 को बेअसर घोषित करवाने को कोई अधिकार ही है।

ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 866 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 2414/804 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.28 हैक्टर में आवेदिका को कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। आवेदिका उपरोक्त वर्णित भूमि पर किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। आवेदिका का वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा ना ही कोई हक अधिकार है एव ना ही आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में कब्जे बाबत कोई अनुतोष चाहा है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को पूर्व में स्व. मोहनलाल काश्त करते थे तथा खातेदार थे स्व0 मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात अनावेदक नम्बर 1 व 2 उपरोक्त वर्णित भूम को काश्त करते है तथा काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी के हक अधिकारी है। आवेदिका का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा ही नही तो वादग्रस्त भूमि बाबत आवेदिका का किसी प्रकार की कोई क्षति होने की सम्भवना नही रह जाती है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिना अधिकार के आने मन में बेईमानी के वशीभूत होकर पेश किया है।

इस प्रकार आवेदिका का कोई प्रथम दृष्टया [illegible] नही [illegible] तथा ना ही सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में है, व ना [illegible] किसी प्रकार की कोई [illegible] क्षति की सम्भवना है। इसलिए आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष [illegible] गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं वकील अनावेदकगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम

ए.सी.ई.एम. (का.टे.)
नवलगढ

दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :– **दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :–**

राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.28 हैक्टर स्थित है, जिसके सबसे पुराने खसरा नम्बर 619 रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 7 बीघा 9 बीश्वा रहे है जिसकी खातेदारी आवेदिका के दादा कुरडाराम के नाम दर्जशुदा चली आ रही थी। जो आवेदिका के पूर्वजो से ही प्राप्त हुई थी। आवेदिका स्वर्गीय कुरडाराम की पौत्री तथा स्व0 मोहन की पुत्री है। वर्णित भूमि आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि रही है। आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 स्व0 मोहन की जायन्दा पुत्रीया है, जो हिन्दु परिवार की सहदायी सदस्य है, जिसका जन्म से ही उक्त वादग्रस्त पैत्रिक भूमि मे हक हिस्सा है। आवेदिका स्वर्गीय कुरडाराम की पौत्री है तथा स्व0 मोहन की पुत्री है। स्वर्गीय कुरडाराम की वंशावली अनुसार स्वर्गीय कुरडाराम के तीन पुत्र गणेशपुरी महावरी पुरी मोहनपुरी हुए। कुरडाराम के फोत होने पर कुरडाराम की भूमि का विरासत से उनके जायंदा पुत्रो के नाम आ गई। स्व0 मोहन के नाम से दर्ज खसरा नम्बर 866, 2414/804 का ही विवाद है। आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 स्व0 मोहन की पुत्रिया है तथा अनावेदक संख्या 1 स्व0 मोहन की पत्नी है। वादग्रस्त भूमि स्व0 कुरडाराम की खातेदारी काश्त की थी जो स्वर्गीय कुरडाराम के फौत होने पर आवेदिका के पिता स्वर्गीय मोहन को विरासत में प्राप्त हुई थी, जिसका राजस्व रिकार्ड स्वर्गीय मोहन के नाम से दर्जशुदा चला आ रहा था। वादग्रस्त भूमि आवेदिका व अनावेदक संख्या 2 व उनके पिता स्वर्गीय मोहन की पैतृक भूमि है जिसमें आवेदिका तथा अनावेदिकागण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा है। विवादित भूमि में आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड आवेदिका के पिता स्वर्गीय मोहन के नाम से दर्ज होने के कारण स्वर्गीय मोहन से दिनांक 05.12.2011 को एक दान–पत्र वादग्रस्त भूमि में से 0.88 हैक्टर का अपने हक में तस्दीक करवा दिया जबकि स्व0 मोहन को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था तथा न ही स्व0 मोहन को अपने हक हिस्सा 1/3 से अधिक भूमि का दान–पत्र करने का था। स्वर्गीय मोहन ने गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर अनावेदक संख्या 2 के हक में 0.88 हैक्टर भूमि का दान–पत्र दिनांक 05.12.2011 को तस्दीक कर तकमील करवा दिया जबकि स्व0 मोहन व अनावेदक संख्या 2 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही [illegible] वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर व अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हेक्टर तथा अनावेदक संख्या 2 का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 है [illegible] वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण पैतृक भूमि है, जिसमें आवेदिका का हिस्सा 1/3 यानि कि 0.4266 हेक्टर तथा अनावेदक संख्या 1 को हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर का व अनावेदक संख्या 2 को हिस्सा 1/3 यानिकि 0.4266 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि शामलाती भूमि दर्ज रिकार्ड है। आवेदिका भूमि का विधिवत विभाजन करवाने चाहती है, जिसका विधिवत विभाजन में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नही है। आवेदिका 1/3 हिस्सा के खाता अलग कर विभाजन करवाने का अधिकारी है। वाद विभाजन का है। प्रश्नगत विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की शामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. टे.)
नवलगढ

32

खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदार की शामलाती भूमि में प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त होता है। वाद विभाजन का है जिसका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर साबित होगा। अतः विवादित भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 866, 2414/804 रकबा क्रमशः 0.90, 0.38 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.28 हैक्टर के संबंध में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 10.04.2014 को तादावा निर्णय कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:34 IST
Reason: SelfAttested